न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. श्री इन्द्र कुमार व्यास, निवासी- महालक्ष्मी मंदिर के पास, दोषीपोल, पिण्डवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म:- मैसर्स इन्द्र कुमार कन्हैयालाल, शापिंग सेन्टर, बिनानी ग्राम सीमेन्ट स्टाफ कॉलोनी, बिनानी ग्राम, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

2. श्री भंवर लाल राठौड पुत्र श्री पूनाराम, निवासी- घांचीयों का वास, सुमेरपुर (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्म:- मैसर्स शारदा ट्रेडर्स, हनुमान चौक, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली

3. श्री लोकेश कुमार पुत्र देवारामजी रावल, निवासी- कोठार, हाल-शिवगंज (खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर)

फर्म:- Amarnath Traders, H-109-111, RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi

प्रकरण संख्या: 34/2017

''अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार, प्रतिवादी संख्या- 2 की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रतिवादी संख्या- 3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 29 जनवरी, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 12.1.2017 को 7.00 पी.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मैसर्स इन्द्र कुमार कन्हैया लाल, शॉपिंग सेन्टर, बिनानी ग्राम सीमेन्ट स्टाफ कॉलोनी, बिनानी ग्राम, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से इन्द्र कुमार व्यास, निवासी- महालक्ष्मी मंदिर के पास, दोषीपोल, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान की रैक में खाद्य पदार्थ रेपसीड रिफाइंड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड की 10 प्लास्टिक की 500-500 एम.एल. की [illegible] विक्रय हेतु रखी हुई थी, जिसकी शुद्धता की जांच हेतु नमूना खरीदने [illegible] री विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता इन्द्र कुमार व्यास को [illegible] के समक्ष फार्म [illegible] पर लिखित में दी एवं रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए पर [illegible] है, जो [illegible] संलग्न है। [illegible] दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:58:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

गवाहान के समक्ष विक्रेता को उसके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रुपये 180/- नकद देकर खाद्य पदार्थ रेपसीड रिफाइंड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड की 500-500 एम.एल. की 4 पैक बोतलों को खरीदा एवं खरीद रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर है, जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान के समक्ष उक्त खरीद शुदा रेपसीड रिफाइड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड की 500-500 एम.एल. की 4 बोतलों के लिये लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक AD-516, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों खरीद शुदा बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग अलग भूरे कागज में लपेट कर कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया एवं प्रत्येक पैकेट पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप AD-516 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति रखकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर मेरे द्वारा दिनांक 13.1.2017 को उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा खाद्य विशलेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है तथा नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग को अभिहित अधिकारी को मेरे द्वारा दिनांक 13.1.2017 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर के पत्र संख्या 145-146 दिनांक 16.2.2017 के संलग्न खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./33/एक्ट/2017/31 दिनांक 24.1.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ रेपसीड रिफाइड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड का नमूना अमानक स्तर (Substandard) पाया गया है। मेरे द्वारा इन्द्र कुमार व्यास को दिनांक 12.5.2017 को पत्र लिखकर खरीद बिल पेश करने को कहा, जिसके प्रतिउत्तर में खरीद बिल प्रस्तुत किया। मेरे द्वारा दिनांक 30.5.2017 को शारदा ट्रेडर्स, सुमेरपुर को इन्द्र कुमार व्यास द्वारा पेश खरीद बिल की छाया प्रति [illegible] नं. 5ए व जांच रिपोर्ट की छाया प्रति पेश कर फर्म से संबंधित कागजात [illegible] पेश करने हेतु सूचित किया, जिसके प्रतिउत्तर में शारदा ट्रेडर्स, सुमेरपुर द्वारा प[illegible]कर कहा गया कि कन्हैयालाल फर्म को

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:58:05 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

प्राधि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

इस ब्राण्ड का माल नही बेचा गया और कहा गया उक्त बिल में ब्राण्ड का कहीं उल्लेख नही है। पुनः मेरे द्वारा दिमांक 23.4.2017 को पत्र लिखकर फर्म से संबंधित कागजात मांगे तो उनके द्वारा दिनांक 30.4.2017 को पुनः पत्र लिखकर बिल में ब्रांड का उल्लेख नही है कहा, लेकिन उक्त उक्त फर्म को इस फर्म द्वारा किस ब्रांड का माल बेचा यह भी अंकित नही है, पत्रों की मूल प्रति व छाया प्रति संलग्न है। इस प्रकरण से संबंध मूल कागजात व अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां वास्ते अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर को प्रस्तुत किये है जिसकी प्रति संलग्न है। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन एवं अध्ययन करके प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करते हुए न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अमानक खाद्य पदार्थ रेपसीड रिफाइंड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि पर प्रतिवादी संख्या-1 (इन्द्र कुमार व्यास) ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 12.1.2017 को मेरे फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ रेपसिड रिफाइन्ड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड की 500-500 एम. एल. की 4 बोतलें नमूना जांच हेतु खरीदी थी। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ मैंने फर्म श्री शारदा ट्रेडर्स, हनुमान चौक, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली से बिल नं. 9501 दिनांक 31.12.2016 के द्वारा पैकिंग अवस्था में क्रय किया था एवं मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी पैकिंग अवस्था में ही नमूना जांच हेतु विक्रय किया था। इस प्रकरण में मेरी कोई गलती नही है, इस हेतु श्री शारदा ट्रेडर्स, हनुमान चौक, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली ही जिम्मेदार है, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित हुये एवं एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रतिवादी संख्या-2 ने देवी दुर्गा ब्राण्ड रेपसीड तेल को अमरनाथ ट्रेडर्स, एच- 109 से 111, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज से बिल नम्बर 812 दिनांक 16.12.2016 व बिल नम्बर 819 दिनांक 17.12.2019 से क्रय किया गया है, इसलिये इस प्रकरण में अमरनाथ ट्रेडर्स, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज को पक्षकार बनाये जावे।

प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी संख्या-2 के अधिवक्ता को सुना गया। प्रतिवादी [illegible] की ओर से प्रस्तुत बिल संख्या 812 दिनांक 16.12.2016 [illegible] के अनुसार प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड पैकड बोतलों को अमरनाथ ट्रेडर्स, H-109-111, RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi के

Signature Not Verified
Digitally Signed by: Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:58:05 IST
Reason: Self Attested

....पेज चार पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

(सिरोही (राज.))

द्वारा क्रय किया जाना साबित होने पर अमानक खाद्य पदार्थ रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु फर्म अमरनाथ ट्रेडर्स प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत फर्म अमरनाथ ट्रेडर्स, H-109-111, RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi को पक्षकार (प्रतिवादी संख्या-3) बनाया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान फर्म अमरनाथ ट्रेडर्स, H-109-111, RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi के प्रोपराईटर लोकेश कुमार पुत्र देवाराम जी, जाति- रावल, हाल निवासी- शिवगंज की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 29.1.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी व प्रतिवादी संख्या-1 उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संख्या- 2 के अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या- 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म शारदा ट्रेडर्स ने खाद्य पदार्थ रिफांइड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड की पैकिंग बोतलें जरिये बिल संख्या 812 दिनांक 16.12.2016 व 819 दिनांक 17.12.2016 के द्वारा अमरनाथ ट्रेडर्स से क्रय की गई थी एवं प्रतिवादी संख्या-1 की फर्म को पैकिंग अवस्था में ही विक्रय की गई थी, इसलिये अमानक खाद्य पदार्थ रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड के विक्रय हेतु निर्माता फर्म अमरनाथ ट्रेडर्स ही जिम्मेदार है, इसलिये प्रतिवादी संख्या-2 को इस प्रकरण से मुक्त किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या-3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या-3 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.1.2017 को प्रतिवादी संख्या-1 की फर्म से रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड का नमूना लिया जो जांच में अमानक पाया जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बाद अनुसंधान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध यह प्रकरण प्रस्तुत किया तथा प्रकरण के विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या-2 के अधिवक्ता ने करीब ढाई वर्ष बाद आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त रिफाइंड रेपसीड ऑयल को प्रतिवादी संख्या-3 की फर्म से खरीद किया जाना बताया। जिस पर इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या-3 को सुने बिना ही इस प्रकरण में पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया है, जबकि सी.पी.सी. के प्रावधान इन प्रकरणों में लागू नही होते है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 12.1.2017 को सेम्पल लिया गया था उस सेम्पल की जांच रिपोर्ट 24.1.2017 को प्राप्त हुई, किन्तु इस प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या-3 किसी भी रुप से शामिल नही होने से उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी संख्या-3 को नही दी गई, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या-3 जांच रिपोर्ट के [illegible] द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच करवाने के अधिकार से वंचित रहा [illegible] उक्त अधिनियम की धारा 46 के अनुसार जांच रिपोर्ट [illegible] कर [illegible] प्रस्तुत करने का आज्ञापक प्रावधान है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रकरण का अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी संख्या-2 को

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:58:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रति, जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

पत्र लिखकर दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या-2 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बिल की प्रति प्रस्तुत नही की, इससे यह स्पष्ट है कि यदि प्रतिवादी संख्या-2 ने प्रतिवादी संख्या-3 की फर्म से उक्त खाद्य पदार्थ खरीदा होता तो बिल अवश्य ही उपलब्ध करवाता। प्रतिवादी संख्या-2 अपने कंधों की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या-3 पर नही डाल सकता है। यह कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-3 के विरुद्ध कोई अभियोजन स्वीकृति नही ली गई है, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या-3 के विरुद्ध यह प्रकरण चलने योग्य नही है। अत: प्रतिवादी संख्या-3 के विरुद्ध यह प्रकरण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 12.1.2017 को 7.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स इन्द्र कुमार कन्हैयाला, बिनानी ग्राम स्टाफ कॉलोनी शॉपिंग सेन्टर, बिनानी ग्राम, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से श्री इन्द्र कुमार व्यास, निवासी- महालक्ष्मी मंदिर के पास, दोषीपोल, पिण्डवाडा उपस्थित मिले, जो आम जन के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दुकान की रैक में खाद्य पदार्थ रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड की 500-500 ग्राम की 10 पैक्ड प्लास्टिक बोतलें आम जनता के विक्रय हेतु रखी हुई थी, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री रमेश कुमार पुखराज, इन्द्रा कॉलोनी, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही एवं श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर के समक्ष विक्रेता इन्द्र कुमार व्यास को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड की 500-500 ग्राम की 4 पैक्ड बोतलों को राशि रुपये 180/- (रुपये एक सौ अस्सी मात्र) विक्रेता इन्द्र कुमार व्यास को नकद अदा कर खरीदा एवं खरीद रसीद प्राप्त की। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता इन्द्र कुमार व्यास, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक AD-516, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता इन्द्र कुमार व्यास व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना भागों पर प्रत्येक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप AD-516 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया एवं प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर

.....पेज छ: पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:58:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता इन्द्र कुमार व्यास व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता इन्द्र कुमार व्यास, उक्त गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 13.1.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर को दिनांक 13.1.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड (Batch No.AT/10 Mfg. OCT-2016) का नमूना संख्या AD-516 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक: L.S./33/Act/2017/31 दिनांक 24.1.2017 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म इन्द्र कुमार कन्हैयालाल, बिनानी ग्राम सीमेन्ट स्टाफ कॉलोनी, बिनानी ग्राम, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता इन्द्र कुमार व्यास से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड अमानक (Sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी इन्द्र कुमार व्यास की फर्म इन्द्र कुमार कन्हैयालाल द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड की 500-500 एम [illegible] पैक्ड बोतलों को बिल संख्या 9501 दिनांक 31.12.2016 से प्रतिवादी संख्या 2 की फर्म श्री शारदा ट्रेडर्स, हनुमान चौक, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर से क्रय किया गया था एवं प्रतिवादी संख्या- 2 की फर्म शारदा ट्रेडर्स द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड की पैक्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:58:05 IST
Reason: SelfAttested

...पेज सात पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज.)

बोतलें इनवोईस नम्बर 812 दिनांक 16.12.2016 व 819 दिनांक 17.12.2016 के द्वारा फर्म Amarnath Traders, H-109-111, RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi से क्रय की गई थी। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी इन्द्र कुमार व्यास द्वारा खाद्य पदार्थ रिफांइड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड की पैक्ड बोतलों को वास्ते नमूना जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी को विक्रय किया गया था। इस प्रकार, अमानक खाद्य पदार्थ रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड (Batch No.AT/10 Mfg. OCT-2016) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 के अनुसार फर्म Amarnath Traders, H-109-111, RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में अभियुक्त संख्या- 1 से 2 को आरोप मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत खाद्य पदार्थ रिफाइंड रेपसीड ऑयल देवी दुर्गा ब्राण्ड की निर्माता फर्म Amarnath Traders, H-109-111, RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, निर्माता फर्म Amarnath Traders, H-109-111, RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi के प्रोपराईटर लोकेश कुमार पुत्र देवाराम जी, जाति- रावल, निवासी- कोठार, हाल- शिवगंज, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

29/1/2021

(गितेश श्री मालवीया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:58:05 IST
Reason: SelfAttested